

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/स.स.-पं.प्र.अ./सेवानिवृत्त/2020/58

जयपुर,दिनांक:05-01-21


:: आदेश ::

श्री तेजाराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति जैसलमेर, जिला जैसलमेर अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, का दिनांक 03.10.2020 को स्वर्गवास हो जाने के कारण उन्हें औपचारिक रूप से दिनांक 03.10.2020 को राज्य सेवा से सेवा समाप्त/सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री तेजाराम के विरुद्ध आज तक:-


- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,


(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जैसलमेर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति जैसलमेर, जिला जैसलमेर।
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)